International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 20-11-2021; Accepted: 05-12-2021; Published: 21-12-2021
Volume 3, Issue 2, 2021, Page No. 67-69

वैश्विक समाज और स्त्री अधिकारिता

पवन कुमार तिवारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
आज वैश्विक समाज उस दिशा और दशा से गुजर रहा है जहाँ पर नारी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में समाज और राष्ट्र के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है जिसके समाधान के कई कारगर रास्ते निकाले गये हैं। लेकिन अभी तक पूर्णरूपेण सफलता हासिल होती दिखायी नहीं पड़ रही है विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे राष्ट्र की स्थिति और बदतर है जहाँ पर नारी सुरक्षा और उसका सम्मान ग्राम पंचायतों से लेकर देश की सर्वोच्च सदन तक एक चुनौती का विषय बन गया है जिस पर लगातार कानून बनाने की बात चल रही है जिस पर जनता अपने–अपने घरों से निकलकर सड़क और सड़क से संसद तक पहुँच गयी हैं जन आन्दोलन ने सरकारों की नींद उड़ा दिया है और वर्तमान में सरकार ने इस कानून को संसद द्वारा पारित अधिनियम का चोला पहना दिया है और कई सारे अध्यादेश पारित करा दिये हैं जो कि तुरन्त प्रभावी हो गये हैं और उन पर राज्य सरकारों ने अमल करना शुरू कर दिया है जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर अंकुश लगता नजर आयें।

मूल शब्दः वैश्विक समाज, अधिनियम, सामाजिक कुरीति, अध्यादेश, नागरिक

प्रस्तावना

आज वैश्विक समाज उस दिशा और दशा से गुजर रहा है जहाँ पर नारी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में समाज और राष्ट्र के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है जिसके समाधान के कई कारगर रास्ते निकाले गये हैं। लेकिन अभी तक पूर्णरूपेण सफलता हासिल होती दिखायी नहीं पड़ रही है विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे राष्ट्र की स्थिति और बदतर है जहाँ पर नारी सुरक्षा और उसका सम्मान ग्राम पंचायतों से लेकर देश की सर्वोच्च सदन तक एक चुनौती का विषय बन गया है जिस पर लगातार कानून बनाने की बात चल रही है जिस पर जनता अपने–अपने घरों से निकलकर सड़क और सड़क से संसद तक पहुँच गयी हैं जन आन्दोलन ने सरकारों की नींद उड़ा दिया है और वर्तमान में सरकार ने इस कानून को संसद द्वारा पारित अधिनियम का चोला पहना दिया है और कई सारे अध्यादेश पारित करा दिये हैं जो कि तुरन्त प्रभावी हो गये हैं और उन पर राज्य सरकारों ने अमल करना शुरू कर दिया है जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर अंकुश लगता नजर आये लेकिन क्या एक्ट बन जाने मात्र से बलात्कार और व्यभिचार की घटनायें बंद हो जायेंगी और अगर ऐसा था तो फिर दिल्ली का दामिनी काण्ड क्यों हुआ होता? उसके बाद कई ऐसी घटनायें हुईं जिस पर प्रकाश डालना अपने समाज व राष्ट्र को नीचा दिखाने जैसा है। इन घटनाओं पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा जब तक कि समाज का प्रत्येक नागरिक इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं करेगा। तब तक कोई भी संविधान अध्यादेश पूर्णरूपेण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि समाज का प्रत्येक नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले तब जाकर हम इन कुरीतियों से सामना करने की स्थिति में होंगे।[1].

जब कानून उनका सहारा बनकर उन्हें उनके अधिकारों को दिलवायेगा, जबकि वास्तव में यथार्थ की स्थिति कुछ और ही बयाँ कर रही है जिसके कारण समाज में आज असमानता और असंतोष की स्थिति पैदा हो गयी है। लोगों का एक दूसरे पर भरोस हट गया है, समाज में एक ऐसा अन्धकार सा छा गया है जहाँ पर दूर–दूर तक कोई भी किरण नहीं दिखाई पड़ रही है जो कि इस अन्धकार को चीरकर समाज को नई रोशनी प्रदान कर सके।

आज हमारा वैश्विक समाज भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गयी हैं कि यह समाज और कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आज छोटा से छोटा कार्य बिना रिश्वत दिये नहीं होता है। ग्रामीण अंचल से लेकर सरकार तक इसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि आज इसको लेकर एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या रिश्वत को कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं? अगर विश्व में इस तरह की दिशा चल रही है तो इस समाज की दशा क्या होगी? यह सोचना ही बेमानी होगी। भ्रष्टाचार ग्रामीण अंचल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस कदर फैल चुका है कि शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब समाचार पत्रों ने अपने प्रमुख पृष्ठ पर भ्रष्टाचार को अपनी महत्वपूर्ण खबर न बनाया हो। आज आपका कोई भी कार्य बिना पैसे के सम्भव नहीं है यदि आपने पैसे नहीं दिए जो शायद ही वह कार्य बिना किसी आपत्ति के हो सके। गॉधी जी ने अपने रामराज्य के संचालन में यदि किसी चीज को महत्वपूर्ण अवरोधक माना था तो वह भ्रष्टाचार था उनका कहना था कि जब तक आप समाज में ईमानदारी नहीं ला सकते तब तक आप किसी भी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं कर सकते इस बीमारी का इलाज करने के लिए ही उन्होने जन अधिकार की बात की थी एवं प्रत्येक हाथ को कार्य की बात कही थी। गाँधी जी के अनुसार यही एक ऐसा मूलमंत्र था जिससे इस बीमारी से समाज को बचाया जा सकता है।[2]

समाज की जो अगली चुनौती है वह आतंकवाद है आज पूरा विश्व इस समस्या के निदान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है आतंकवाद ने जिस तरह पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है उससे निकलने का कोई आसान और सुलभ रास्ता दिखायी नहीं पड़ रहा है आज आतंकवाद लाखों, करोड़ों लोगों की जिन्दगियों को बेकार कर चुका है कई सारे राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक स्थिति का कुछ प्रतिशत केवल आतंकवाद से देश को बचाने के लिए खर्च कर

रहे हैं जहाँ पर यह व्यय जनमानस के विकास और शिक्षा के लिए खर्च किया जाता, आज वह अर्थ केवल आतंकवाद से लड़ने के लिए खर्च किया जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण देशों ने तो एक विशेष सेना को तैयार कर रखा है जिसका उद्देश्य केवल आतंकवाद से राष्ट्र और समाज की रक्षा करना है लेकिन परिणाम आज भी सकारात्मक नहीं है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है लगातार कई ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जो कि समाज के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं गॉधीजी ने बहुत पहले ही इस बात के लिए राज्य और समाज को सजग कर दिया था कि अगर राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक हाथ को काम नहीं मिलेगा तो समाज को इन विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो कि आज पूर्णरूपेण परिलक्षित हो रही है।समाज आज भुखमरी की स्थिति से गुजर रहा है आज भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग कुपोषण और भुखमरी का शिकार हो रहा है अधिकांश जनमानस को एक वक्त की ही रोटी नसीब हो रही है दूसरे वक्त भूखे सो जा रहे हैं इस पर समाज की नीति व नियत का कोई भी स्पष्ट निर्णय परिलक्षित नहीं हो रहा है अगर हमारे समाज में स्थिति इतनी भयावह है तो हम यह कैसे मान लें कि समाज स्वस्था दिशा की ओर अग्रसर है। एक तरफ जहाँ लोग महलों व बंगलों में रह रहे हैं वहीं दूसरी ओर समाज के एक वर्ग को सर ढकने के लिए छत तक नसीब नहीं हो रही है और जनमानस का एक हिस्सा फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है जहाँ एक तरफ लोग मंहगी कारों में लुत्फ उठा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोगों को साइकिल तक नसीब नहीं हो रही है। योजना आयोग के सर्वेक्षण के बाद एक रिपोर्ट में कहा गय है कि आज भी भारतवर्ष में लगभग 30 प्रतिशत लोगों की दिन भर की कमाई मात्र 20/– रूपये है जो कि आज की स्थिति में किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है जिससे व्यक्ति दो पहर की रोटी खा सके हम ऐसे समाज में समानता का स्वप्न कैसे देख सकते हैं इस पर गाँधी जी ने कहा था कि ''भूखे आदमी से स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिए यदि व्यक्ति के विवेक और श्रम का उपयोग राष्ट्र के विकास में लेना है तो सर्वप्रथम हमें इस बात पर जोर डालना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अवस्था में भूखा न सोने पाये तभी जाकर हम समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की बात सोच सकते हैं। आज वैश्विक समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाज की जो स्थिति 20वीं शताब्दी में थी वह आज वैसी ही चल रही है आज समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं आज इस परिवर्तन को हमारे समाज में विशेषज्ञ अपनी अपनी नजरोंसे देख रहे हैं और इसके लाभ–हानि पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं जिन सामाजिक कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए बड़े–बड़े आन्दोलन किए गये हैं विश्व के कई महापुरुषों ने इसके लिए अपने जीवन का लम्बा संघर्ष किया आज उन्हीं सामाजिक कुरीतियों को जनमानस ने केवल अपनेविवेक का उचित प्रयोग कर सामाजिक वातावरण से बहुत दूर कर दिया है। [3]

आज वैश्विक समाज में ऊँच–नीच, जाति–पाँत के भेदभाव पर लगभग अंकुश लग गया है आज समाज समानता की दहलीज पर पहुँच कर दरवाजा खटखटा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब समाज में रहने वाला प्रत्येक प्रणी केवल सामाजिक प्राणी के रूप में पहचाना जायेगा। उसकी पहचान समाज में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में ही जानी जायेगी जहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दी जाति–पॉत के भंवर में फँसकर केवल उसके समाधान का रास्ता खोजने में चली गयी वहीं आज 21वीं शताब्दी इन सारी चीजों से परे हो गयी है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज के प्रत्येक कार्य में समान साझीदारी का मौका मिल रहा है और समाज का प्रत्येक प्राणी इसमें अपनी भागीदारी का एहसास दिला रहा है एक समय था जब समाज का कार्य जाति पर आधारित था कार्यों का निर्धारण प्रणी की योग्यता और क्षमता पर नहीं, बल्कि उसके वर्ग पर निर्धारित होता था जिससे समाज में कुण्ठा और अवसाद व्याप्त होती थी आज समाज जाति आधारित कार्यों पर नहीं बल्कि योग्यता और क्षमता पर आधारित हो गया हैं और कार्यों का निर्धारण तथा उनका वितरण योग्यता और क्षमता के आधार पर हो रहा है जो कि सामाजिक व्यवस्था के स्वर्णिम युग की तरफ अग्रसर हो रहा है आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जातियों की पहचान धूमिल होती जा रही है प्रत्येक वर्ग एक दूसरे वर्ग के साथ बैठता है उसके यहाँ खाना खाता है और परस्पर तालमेल से रहता है।[4]

अस्पृश्यता का पूरी तरह से अन्त हो गया है आज अस्पृश्यता शब्द की बात करने पर लोगों को कानूनी सजा हो रही है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित हो गया है इस पर तो भारत सरकार ने संसद के माध्यम से कानून बना दिया है जिस पर सरकार बहुत ही पैनी नजर रख रही है कई आयोगों का गठन किया जा चुका है जिनका कार्य केवल इन कानूनों का कड़ाई से पालन करवाना है और ये आयोग अपने कार्य बखूबी कर रहे हैं जिसका समाज में महत्वपूर्ण असर दिख रहा है। आज ग्रामीण अंचल से लेकर सर्वोच्च शासन व्यवस्था तक समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व दिख रहा हैं भारतीय संविधान के गठन से लेकर आज भारतीय संसद तक समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधितव दिख रहा है आज हमारी संसद की मुखिया ही दलित वर्ग का प्रतिनिधितव करती हैं इससे बड़ा सामाजिक समानता का कोई भी ज्वलन्त उदाहरण नहीं मिल सकता है।[5]

महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही इन सामाजिक कुरीतियों और स्थितियों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिये थे उन्होंने उसी समय जाति–पॉत, छुआछूत आदि पर गम्भीर कटाक्ष किये थे और उन्होंने उसी समय इस पर रोक लगाने की जोरदार वकालत की थी और उन्होंने इस बात पर चिन्ता जाहिर की थी कि यदि सभी कुरीतियाँ समय रहते नही ंदूर की गयीं तो यह कुरीतियाँ सामाजिक विकास को काले सर्प की भॉति डस जायेंगी। गॉधी जी ने इस बात पर जोर डाला था कि यदि समाज को हमें विकास के रास्ते पर ले जाना है तो हमें समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और उन्हें समाज के प्रत्येक चरण में भागीदारी दिखानी होगी तभी जाकर हम सामाजिक संगठन की कल्पना को पूरी कर पायेंगे। आज विश्व समाज जो कि कभी गाँधी विरोधी बात कर उनके द्वारा बताए गये विचारों और कार्यों का विरोध करते थे वही आज गाँधी को अपना आदर्श मानकर समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन सामाजिक कुरीतियों को एक स्वर से मिटाने और हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सामाजिक विकास में एक अवरोध का कार्य कर रही हैं और गॉधी के विचारों का अनुपालन कर रहे हैं। आज हमारे समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है एक समय न केवल भारत में अपितु विश्व के अन्य कई देशों में भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एक गृहणी महिला के अलावा और कुछ भी नहीं थी जिसको लेकर 20वीं शताब्दी में कई सारे आन्दोलन हुए लेकिन स्थिति जस की तस थी आज 21वीं सदी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसमें स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव आया है जहाँ पर उस समय स्त्रियों को शिक्षा से लेकर स्वतंत्रता तक के अधिकारों से वंचित किया जाता था वहीं आज नारी भागीदारी समाज के प्रत्येक स्थान में दिख रही है आज लड़के और लड़की में किसी प्रकार की असमानता नहीं बरती जा रही है दोनों को समाज में समान अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। आज लड़कियों को बचपन से ही शिक्षा के लिए स्कूलों

में भेजा जा रहा है उन्हें शिक्षित किया जा रहा है सरकार द्वारा इन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए कई सारे प्रकोष्ठो का निर्माण किया जा रहा है जो केवल महिलाओं के सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं आज महिलाएँ घर गृहस्थी से लेकर शासन सत्ता तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान को बखूबी निभा रही हैं न केवल भारतर्ष में बल्कि विश्व के कई अन्य राष्ट्रों में विशेषकर खाड़ी देशों में जहाँ पर नारी को केवल बुरके तक सीमित रखा जाता था और धर्म के नाम पर उन पर शोषण किया जाता था और उन्हें शिक्षा से लेकर और कई सारे सामाजिक और नैतिक कार्यों से वंचित किया जाता था आज महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकली हैं और उन सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़कर समाज की भागीदारी में अपना योगदान दे रही हैं वर्तमान में इसके कई सारे उदाहरण हैं जैसे कि तालिबान संगठन के महिला विरोधी फतवा का विरोध जलाला ने किया था जो कि गोलियों का शिकार भी बनी और आज भी वह संघर्ष कर रही है जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित भी किया है। आज नारी अन्तरिक्ष की यात्रा कर रही है एवं वायुयान व युद्धक विमान उड़ा रही हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नए शोध कर नई और महत्वपूर्ण चीजों को समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है, राजनीति में और शासन सत्ता में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का एहसास दिला रही है ग्रामीण पंचायत से लेकर शासन की सर्वोच्च सत्ता तक पदों पर बैठकर बखूबी उसका संचालन कर रही हैं नौकरी के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समुचित भागीदारी दिखायी पड़ रही है। महिलाएँ ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तक के पदों पर विराज चुकी हैं जो कि व्यवस्था और समानता का स्वर्णिम अवसर है न केवल अपने राष्ट्र में अपितु महिलाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी छाप छोड़ी है आज हमारी भारतीय संसद ने महिलाओं को बराबर की भगीदारी दिलाने के लिए संविधान संशोधन कर उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाओं से सुसज्जित किया है और उन्हें ग्रामीण अंचल से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक आरक्षण का लाभ देकर समानता पर लाने की कोशिश की गयी है जिसका लाभ नारी समाज को मिल रहा है।[6]

आज विश्व समाज स्त्री पुरुष के उस अकलंकित सामाजिक प्रथा से ऊपर उठ चुका है दोनों में समाज में समानता आ चुकी है आज स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं एक समय जब स्त्री को केवल पुरुष की सेविका मात्र समझा जाता था आज वास्तव में वह अर्द्धांगिनी कहलाने योग्य हो गयी है जो कि पुरुष के हर फायदे व नुकसान में आधे की हिस्सेदार बन चुकी है आज लड़के व लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया है इस पर आज किसी भी तरह का कोई सामाजिक पतिबन्ध नहीं है यह युग परिवर्तन का आगाज है आज जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़के और लड़की में समान भाव और उन्हें समान अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं माता पिता की प्रत्येक सम्पत्ति पर दोनों का बराबर का अधिकार है। आज समाज का कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ पर समान भागीदारी न दिखायी पड़ती हो। आज सती प्रथा, घूँघट प्रथा, नारी विभेद आदि का पूरी तरह से अवमूल्यन हो गया है आज ये शब्द केवल शब्द कोष में शब्दों की संग्रहावली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं आज समाज इससे बहुत आगे जा चुका[7]

सन्दर्भ सूची

1. महात्मा गाँधी की जय, सम्पादक श्री मन्ननारायण भवानी प्रसाद मिश्र, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, पृ0सं0 9
2. राजनीतिक सिद्धान्त एक परिचय, सम्पादक राजीव भार्गव, अशोक आचार्य, अनुवादक कमल नयन चौबे, पियरसन प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. 3– भारतीय संस्कृति और समन्वयन– डा0 विद्यानिवास मिश्र, नया ज्ञानोदय, अंक 59, सम्पादक रवीन्द्र कालिया 62
4. भूमण्डलीकरण ब्राण्ड संस्कृति और राष्ट्र प्रभा खेतान, सामयिक प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली, पृ0सं0 24
5. गाँधी जी ने कहा था, सस्ता साहित्य मण्डल, 2009 एन0 77 कनाट सर्कस नई दिल्ली, पृ0 सं0 19
6. भारतीय संस्कृति और समन्वयन, डा0 विद्यानिवास मिश्र, नया ज्ञानोदय अंक 59, सम्पादक रवीन्द्र कालिया, 1995
7. भारतीय राजनीति के ज्वलन्त प्रश्न, राम अवतार शर्मा, सुषमा यादव, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, पृ0 सं0 29